Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

36-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 6, 2026 (PHALGUNA 15, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 6th March, 2026

No. 6-HLA of 2026/10/4482.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 6- HLA of 2026

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2026

A

BILL

Further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 30th January, 2026.

Amendment of Section 7A of Haryana Act 8 of 1975.

2. In section 7A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, after the word "lease", the words "or exchange deed" shall be inserted.

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2026 (Haryana Ordinance No. 1 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The section 7A of Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act 1975 (Act no. 8 of 1975) provides for issuance of NOC by the Director, Town and Country Planning or any officer authorized for this purpose before registration of any document under the provisions of section 17 of the Registration Act, 1908, purporting to transfer by way of sale, lease, gift of any vacant land having an area of less than 'one acre' in an urban area notified by the Government for this purpose.

The purpose of ascertaining such NOC under section 7A of Act no. 8 of 1975 by the registering authorities is to prevent unauthorized colonization in violation of section 7(i) & (ii) of Act ibid in the urban areas of the State.

It has been noticed by the registration authorities that small piece(s) of land are often being exchanged for a much larger or more valuable plot situated in notified urban areas. Further, such transactions, though legally named as exchanges, are essentially taking place as indirect sale transactions and thereby circumventing the regulatory framework of Section 7A. This defeats the spirit and purpose of Section 7A. Such exchange deeds are taking place and are noticed when one of the parties approaches for mutation of the land.

Therefore, it is proposed to amend the existing section 7A of Act no. 8 of 1975 by inserting exchange deeds under the preview of the aforesaid Act so as to discourage sale purchase of such land parcels in unauthorized colonies.

Hence this BILL.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 6th March, 2026

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या–6 एच. एल. ए.

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह 30 जनवरी, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 7क का संशोधन ।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7 क में, "पट्टे" शब्द के बाद, "या विनिमय विलेख" शब्द रखे जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 7 क में यह प्रावधान है कि किसी भी अधिसूचित शहरी क्षेत्र में, जो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, एक एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी भी रिक्त भूमि का विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप में अंतरण करने हेतु पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के पंजीकरण से पूर्व, नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक अथवा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 7 क के अंतर्गत इस प्रकार की एन.ओ.सी. प्राप्त करने का उद्देश्य, राज्य के शहरी क्षेत्रों में अधिनियम की धारा 7 (i) एवं (ii) का उल्लंघन करते हुए अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है।

पंजीकरण अधिकारियों द्वारा यह देखा गया है कि कुछ छोटे भूखंडो की अदला–बदली करके, अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे हैं। यद्यपि ऐसे लेन–देन कानूनी रूप से अदला–बदली (एक्सचेंज) कहलाते हैं, परंतु वास्तव में ये अप्रत्यक्ष विक्रय लेन–देन होते हैं, जिससे अधिनियम की धारा 7 क के विनियामक प्रावधानों को दरकिनार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया धारा 7 क की भावना और उद्देश्य को निष्फल करती है। ऐसे पंजीकरण अन्य तहसीलों में भी हो रहे हैं, जो तब सामने आते हैं जब पक्षकारों में से कोई एक भूमि के नामांतरण (इंतकाल) हेतु आवेदन करता है।

अतः यह प्रस्तावित है कि 1975 के अधिनियम संख्या 8 की वर्तमान धारा 7 क में संशोधन कर, अदला–बदली के विनिमय विलेख को भी उक्त प्रावधान के अंतर्गत लाया जाए, ताकि अवैध कॉलोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद–फरोख्त को हतोत्साहित किया जा सके।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 6 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12476—H.V.S.—H.G.P., Pkl.